(५)

संख्याः–804 / XX-1/23-नि.फा / 10

प्रेषक,

जे. पी. जोशी
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा मे,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनाकः– 29 जून, 2011

**विषयः–फायर स्टेशन, नैनीताल के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–दो–32–2009 दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में फायर स्टेशन भवन के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था "ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा नैनीताल" द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण का आगणन रूपये 1,48,000/– का तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि, रूपये 94,000/– पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में **रूपये 94,000/–**(रूपये चौरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

9– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10– यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन मे समायोजित की जायेगी।

11– निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

12– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13– निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत, 211–पुलिस आवास, 04–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण के मानक मद–24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः– 63/PLAN/xxvii(5)/2011 दिनांक 14 जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

( जे. पी. जोशी )
संयुक्त सचिव

क्रमश.....03